बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक .... /पटना, दिनांक .... /2016
सं0सं0–ह0क0(10) बु0क0स0 –02/16

प्रेषक,

निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
भागलपुर/पटना/बांका/रोहतास/नालन्दा/सिवान/मधुबनी/दरभंगा
कैमूर/नवादा/गया/औरंगाबाद।

विषयः–राज्य के बुनकर परिवार के छात्र–छात्राओं को छात्रवृति उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा करने के संबंध में।

प्रसंगः–उद्योग विभाग का आदेश ज्ञापांक–1407 दि0–11.07.11

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (संलग्न) द्वारा राज्य के बुनकर छात्र–छात्राओं को छात्रवृति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। जिसके अनुसार जिला पदाधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष है तथा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र सदस्य सचिव है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में अभी तक बुनकर परिवार के छात्र–छात्राओं को छात्रवृति उपलब्ध कराने की अनुशंसा प्राप्त नही हुई है। इस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1545 पटना /दिनांक– 21/9/16

प्रतिलिपि–1. उप विकास पदा0(वस्त्र), भागलपुर/गया/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/ बांका/ रोहतास/ औरंगाबाद/ नालन्दा/ सिवान/ मधुबनी/दरभंगा/कैमूर/नवादा को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से विद्यालय से आवेदन प्राप्त कर यथाशीघ्र कारवाई करना सुनिश्चित करें।

2. आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को इस इस योजना की विहित प्रक्रिया एवं आवेदन प्रपत्र संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

21/9
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

D:\Dilip kumar\2016\Aanand jee\ letter docx

(6)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ह0क0(3)बैठक–01/07

आदेश

विषयः– राज्य के बुनकर छात्र–छात्राओं को बुनकर कल्याण कोष से छात्रवृत्ति भुगतान के निमित प्रकिया–निर्धारण।

बिहार बुनकर कल्याण समिति बुनकरों के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति है। यह सोसाईटी ऐक्ट–1860 के अन्तर्गत निबंधित है। दिनांक–07.04.2011 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बिहार बुनकर कल्याण समिति की बैठक में राज्य के बुनकर कल्याण कोष से बुनकर छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान त्वरित गति से करने हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है। समिति के सदस्य सचिव, शिक्षण संस्था प्रधान के माध्यम से बुनकर छात्र–छात्राओं का आवेदन प्राप्त कर समिति की स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा अनुमान्य राशि की याचना निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम–सह–सचिव बुनकर कल्याण समिति से करेंगे। प्राप्त राशि सदस्य सचिव विहित प्रकियानुसार शिक्षण संस्था प्रधान के माध्यम से बुनकर छात्र–छात्राओं को भुगतान करेंगे तथा साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
समिति का स्वरूप निगनवत् है–

1– जिला पदाधिकारी– अध्यक्ष
2– जिला कल्याण पदाधिकारी– सदस्य
3– जिला शिक्षा पदाधिकारी– सदस्य
4– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र– सदस्य सचिव
5– तकनीकी पर्यवेक्षक/सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/उद्योग विस्तार पदाधिकारी– सदस्य

बुनकर कल्याण कोष से बुनकर परिवार के छात्र–छात्राओं को निम्न दर पर राशि उपलब्ध कराई जानी है–

क्रमांक	शिक्षा का स्तर	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिमाह)
1	आठवीं कक्षा	100/–
2	नवीं/दसवीं कक्षा	125/–
3	उच्च माध्यमिक (इंटरमीडिएट)	150/–
4	स्नातक	225/–
5	स्नातकोत्तर	300/–
6	तकनीकी शिक्षा (ITI)	150/–
7	तकनीकी शिक्षा (डिप्लोमा/डिग्री)	300/–

(5)

(142)

छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान की समय–सीमा निम्न रूप से निर्धारित की जाती है–

1–	आवेदन पत्र प्राप्त करना–	मई–जून
2–	समिति द्वारा चयन एवं स्वीकृति देना–	जुलाई
3–	राशि की याचना बुनकर कल्याण कोष से करना–	अगस्त
4–	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम–सह–सदस्य सचिव बुनकर कल्याण समिति द्वारा राशि उपलब्ध कराना–	सितम्बर
5–	उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र) / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संस्था प्रधान को राशि उपलब्ध कराना–	अक्टूबर–नवम्बर
6–	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना को उ0 प्र0 प0 उपलब्ध कराना–	मार्च

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार पटना

ज्ञापांक– 1407 / दिनांक– 11.7.11 /

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / सभी उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) / सभी तकनीकी पर्यवेक्षक / सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार पटना

(3)